

न्यायालय:-कृष्णपालसिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट,
जिला-अलीराजपुर, (म.प्र.)



Filing No	SUM	1788/2026
CNR No.	MP690500	1956/2026
Registration No.	SUM	781/2026

// निर्णय //

(आज दिनांक 20/8/26 को घोषित किया)

01- आरक्षी केन्द्र/आबकारी वृत्त- बोघट के अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त वेणसिंह पिता दिमला आयु 35 वर्ष, निवासी बोरी तहसील बोघट जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 191/2026 अंतर्गत धारा-34 (1)(ए) ग0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग है।

02- अभियुक्त को उक्त आरोप समरी शीट पर विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध को स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया अभियुक्त का अभिवाक अंकित किया गया। स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा-34 (1)(ए) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध पाया गया है।

03- अभियुक्त ने सहज रूप से अपराध स्वीकार किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकार्ड प्रकरण संलग्न नहीं है। अतः अभियुक्त की दशा और अपराध के स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए धारा-34(1)(ए) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

04- अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को व्यक्तिकमस्वरूप पृथक से एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

05- प्रकरण में जप्तशुदा 07 नग डेन वि० म० बी० ए० को विधिवत् निराकरण हेतु आबकारी विभाग को लौटाई जावे/नष्ट की जावे।

06- अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

कृष्णपालसिंह सिसोदिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जोबट, जिला-अलीराजपुर म.प्र.

20.8.26

कृष्णपालसिंह सिसोदिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जोबट, जिला-अलीराजपुर म.प्र.

20.8.26